

भारतीय संविधान एवं नौ वीं अनुसूची

Bharat das vaishnav

Associate professor, Political science
MPPG Govt College Chittorgarh

प्रस्तावना

भारतीय संविधान में उल्लेखित नौवीं अनुसूची संविधान की अनोखी विशेषता है। यह मूल संविधान का भाग नहीं थी। इसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। इसे अनोखी विशेषता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि इसमें कुछ ऐसी विधियां शामिल हैं जो संविधान के साथ असंगत होने के बावजूद भी उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका का संविधान प्रदत्त क्षेत्राधिकार होने के बावजूद भी कुछ विधियां इस अनुसूची के द्वारा न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दी गई हैं। हम यहां पर संविधान की इस अनोखी विशेषता की विस्तृत चर्चा कर रहे हैं।

स्वतंत्रता से पूर्व देश के कई भागों में जमींदारी प्रथा का प्रचलन था। जिसके अन्तर्गत कृषि कार्य करने वाले लोग व खेतों के मालिक अलग-अलग थे। जमींदारी प्रथा शोषण का एक प्रचलित रूप थी। सामाजिक व आर्थिक न्याय के अभाव में लोकतांत्रिक आदर्शों को वास्तविकता में लागू नहीं किया जा रहा था। 26 जनवरी, 1950 को संविधान भी लागू हो गया था। जिसमें प्रस्तावना व नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत विस्तार से सामाजिक, आर्थिक न्याय का उल्लेख है। लोकतांत्रिक आदर्श व संवैधानिक आदर्श प्राप्त करना नीति निर्माताओं के समक्ष चुनौती था।

ऐसी स्थिति में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्यों में इन आदर्शों की स्थापना हेतु कृषि सुधार कानून बनाये गये और लागू किये गये। इधर दूसरी ओर अनुच्छेद 31 के अन्तर्गत सम्पत्ति के अधिकार का उल्लेख भी मौलिक अधिकार के रूप में था। राज्यों द्वारा बनाये गये भूमि सुधार कानूनों को उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई। 1951 में **कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य** के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार भूमि सुधार कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुये असंवैधानिक घोषित कर दिया। इधर दूसरी ओर इलाहाबाद व नागपुर उच्च न्यायालयों ने कृषि सुधारों को सही ठहराया। इस पर पीड़ित पक्ष ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। जबकि कुछ लोगों ने अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की।

उच्चतम न्यायालय इस सन्दर्भ में अपना कोई निर्णय देता, उससे पूर्व ही सामाजिक, आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यक्रम को लागू करने हेतु प्रतिबद्ध पण्डित नेहरू की सरकार द्वारा संविधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव तैयार कर लिया गया। वास्तव में प. नेहरू कृषि सुधारों के प्रति अत्यधिक उत्साही थे। साथ ही वे इस तरह के कार्यक्रमों में न्यायिक प्रक्रिया के कारण हो रही देरी से दुःखी भी थे। हो सकता है कि उन्हें न्यायालय द्वारा इन सुधारों को असंवैधानिक घोषित होने का भी डर था।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प. नेहरू की सरकार द्वारा 1951 में संविधान में संशोधन हेतु प्रथम विधेयक रख दिया गया। इस सन्दर्भ में यहाँ निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रथमतया, संविधान को लागू हुये अभी पन्द्रह महिने ही हुये थे। दूसरा, संसद का स्वरूप अंतरीम था। अर्थात् संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही

थी। तीसरा, मामला देश के सबसे बड़े न्यायालय में विचाराधीन था। फिर भी सरकार ने इन सबको पीछे छोड़ते हुए प्रथम संविधान संशोधन विधेयक संसद में रख दिया।

पण्डित नेहरू ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि यदि वे भूमि के समुचित प्रबन्धन में असफल रहे तो उनके सभी कार्यक्रम असफल हो जायेंगे। इस अवसर पर कई सदस्यों ने विचार व्यक्त किये। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हृदयनाथ कुंजरू, के.टी. शाह तथा आचार्य कृपलानी जैसे सदस्यों ने इस संशोधन का विरोध किया। उनका यह मत था कि इस सन्दर्भ में न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जाये। हुसैन इमाम ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह अनावश्यक व असमय किया गया संशोधन है। प्रो. के.टी. शाह ने न्यायालय की पवित्रता बनाये रखने हेतु इसके विरोध की अपील की। लेकिन पण्डित नेहरू इस सन्दर्भ में पूर्णतया स्पष्ट थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लाखों लोग दशकों से इसका इंतजार कर रहे हैं, केवल छोटे विधिक तर्क इन लाखों लोगों के सामने नहीं आ सकते हैं।

उन्होंने संविधान सभा का हवाला देते हुए कहा कि सभा में इस हेतु सहमति थी कि इस प्रकार के परिवर्तन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी। शायद यहाँ पण्डित नेहरू 10 सितम्बर 1949 को संविधान सभा में हुई उस बहस की ओर संकेत कर रहे थे जिसमें उन्होंने स्वयं यह कहा था कि यदि लोक उपयोग में सम्पत्ति की आवश्यकता पड़ी तो राज्य विधि बनाकर उस सम्पत्ति को अनिवार्य रूप से अर्जित कर सकता है साथ ही विधि अनुसार उन्हें क्षतिपूर्ति भी की जा सकती है। संविधान के साथ धोखाधड़ी होने के अलावा इस प्रकार की विधियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। २

नौ वी अनुसूची में उन कानूनों का उल्लेख है जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नौ वी अनुसूची जोड़ने के कारण व उद्देश्यों पर तो बाद में चर्चा करेंगे लेकिन इस प्रकार के प्रावधान की प्रेरणा का स्रोत आयरलैण्ड भी हो सकता है। जहाँ की विधि के अनुसार एक अलग से बोर्ड की स्थापना की गई है जो भूमि आवंटित तथा भूमि आवंटन का कार्य करता है। इसके निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में किसी भी प्रकार की अपील का कोई प्रावधान नहीं है। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 31 व 31ठ जोड़कर इसी प्रकार के प्रावधान किये गये हैं।

लम्बी बहस के बाद संशोधन पर मतदान भी हुआ। 18 जून, 1951 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति दी। संविधान में नौ वी अनुसूची जोड़ने के निम्न उद्देश्य रहे हैं।

- कृषि सुधार कानूनों को संरक्षण प्रदान करना।
- जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना।
- मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती दिये जाने वाले कानूनों को बचाना।
- समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाना।
- समतावाद के संवैधानिक लक्ष्यों व समान न्याय की ओर सामाजिक परिवर्तनों को बढ़ावा देना।
- कुछ हाथों में भूमि को केन्द्रित होने से रोकना।

इन उद्देश्यों पर दृष्टिपात किया जाये तो यह सभी पवित्र उद्देश्य है। प्रथम संशोधन द्वारा न केवल संविधान में नौ वी अनुसूची जोड़ी बल्कि दो नये अनुच्छेद 31 व 31ठ भी अस्तित्व में आये।

अनुच्छेद 31 में यह उल्लेखित है कि राज्य किसी सम्पत्ति के उचित प्रबन्धन अथवा लोकहित में सम्पत्ति को अर्जित कर सकता है। दो से अधिक निगमों का मिश्रण कर सकता है अथवा निगमों के प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों, कोषाध्यक्ष

इत्यादि के अधिकारों में परिवर्तन कर सकता है। वही अनुच्छेद 311 में यह प्रावधान किया गया कि कुछ विधियों को न्यायालय में असंगतता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।

अनुच्छेद 311 व 311अनुच्छेद 13 के अपवाद है। क्योंकि अनुच्छेद 13 के आधार पर न्यायपालिका किसी भी विधि का मौलिक अधिकारों की असंगतता के आधार पर उसका पूनरावलोकन कर सकती है।

नौवीं अनुसूची हमारे उन संविधान निर्माताओं ने जोड़ी जिन्होंने स्वयं ही संविधान बनाया था। इसके पीछे एक पवित्र उद्देश्य था। प्रथम संशोधन द्वारा इसमें 13 कानूनों को शामिल किया गया। लेकिन वर्तमान में इसमें 284 कानून है। दूसरा, नौवीं अनुसूची कृषि सुधार कानूनों को न्यायिक दायरे से बाहर करने हेतु जोड़ी गई, लेकिन अब इसमें कृषि सुधारों से इतर कानून भी है। इसे समझने हेतु दो सारणियाँ आवश्यक है।

क्र. सं.	संशोधन संख्या	वर्ष	कानूनों की संख्या
1	प्रथम संशोधन	1951	1 से 13 (13)
2	चतुर्थ संशोधन	1955	14 से 20 (07)
3	17 वाँ संशोधन	1964	24 से 64 (44)
4	29 वाँ संशोधन	1971	65 से 66 (02)
5	34 वाँ संशोधन	1974	67 से 86 (20)
6	39 वाँ संशोधन	1975	87 से 124 (38)
7	40 वाँ संशोधन	1976	125 से 188 (64)
8	47 वाँ संशोधन	1984	189 से 202 (14)
9	66 वाँ संशोधन	1990	203-257 (54)
10	76 वाँ संशोधन	1994	257- 1 (01)
11	78 वाँ संशोधन	1995	258 से 284 (27)

इस सूची को देखते से यह स्पष्ट होता है कि इसके 284 कानूनों में से 182 कानून इन्दिरा गाँधी के प्रधानमंत्रित्व काल में नौवीं अनुसूची में शामिल किये गये। अब दूसरी सारणी भी देख लीजिए।

क्र. सं.	विषय	कानूनों की संख्या
1	कृषि / भूमि सुधार	249
2	औद्योगिक विकास	05
3	आर्थिक अपराध कोफेपोसा, फेरा	07
4	निर्वाचन व प्रेस	02
5	समाज कल्याण	06
6	आरक्षण (तमिलनाडु)	01
7	कर्नाटक अनुसूचित जातिव जनजाति, कानून 1978	01
8	अन्य	03
9	कुल	284

इस सारणी से यह स्पष्ट होता है कि इसमें 35 ऐसे कानून शामिल है जो कृषि अथवा भूमि सुधारों से सम्बन्धित नहीं हैं।

शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में नौवीं अनुसूची को न्यायालय में चुनौती दी गई और चुनौती के आधार वे ही थे जिन पर संसद में चर्चा हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने चुनौती खारिज कर दी। माननीय न्यायालय का दृष्टिकोण भी संसद के अनुरूप था। न्यायालय ने यह अनुभूत किया कि संसद की इस सन्दर्भ में बढ़ी हुई शक्ति किसी भी प्रकार से खतरा नहीं है।

यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि नौवीं अनुसूची भूमि सुधारों को न्यायिक दायरे से बाहर कर सामाजिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित करना था। लेकिन समय के साथ इसमें अन्य विषय भी शामिल किये गये। केशवानंद भारती वाद, वापन राव वाद तथा आई. आर. कोल्हो वाद में दिये गये निर्णय के बाद अब यह स्पष्ट है कि नौ वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को भी इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि वह कानून संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है। इस सन्दर्भ में यह भी शर्त है कि वह कानून 24 अप्रैल, 1973 के बाद नौ वीं अनुसूची में शामिल हो।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नौ वीं अनुसूची भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है।

संदर्भ सूची—

1. कामेष्वर सिंह बनाम् बिहार राज्य (1952^{१६} 252)
2. संविधान सभा के वाद विवाद खण्ड च (ख), लोकसभा सचिवालय पृष्ठ संख्या 1862
3. भारत का संविधान, लोक सभा सचिवालय, वर्ष 2016, पृष्ठ।
4. भारत का संविधान, लोक सभा सचिवालय, वर्ष 2016, पृष्ठ – 21